# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## मक्सी रोड़, उज्जैन 456001 (म.प्र.)

## ई–निविदा सूचना

## दुग्ध संकलन परिवहन/बी.एम.सी. परिवहन कार्य हेतु

**क्रमांक/उ.दु.सं./क्षे.सं./परिवहन ई–निविदा/2018/1717/10.05.2018**

**ई–निविदा खुलने की दिनांक 05.06.2018 तक ऑनलाईन वेब साईड http:/www.mpeproc.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।**

निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु www.mpcdf.nic.in पर लॉगआन करें। Digital Signature हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002745454/18002748484 पर सम्पर्क करें।


**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**

**मक्सी रोड़ उज्जैन – 456001 (म.प्र.)**

**फोन नं. : (0734) 2527061, 2527068, 2527066**

**फेक्स नं. 0734–2527063**

**E-mail : udsmis@yahoo.com, udsfo123@gmail.com**

# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

## मक्सी रोड़ उज्जैन 456001 (म.प्र.)

## फोन नं. (0734) 2527061, 2527068, 2527066

## फेक्स नं. 0734–2527063

**E-Mail: udsmis@yahoo.com, udsfo123@gmail.com**


---

**क्रमांक/उ.दु.सं./क्षे.सं./ई–निविदा/2018/1717/10.05.2018**

## ई–निविदा सूचना

**दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु (दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र समस्त) बी.एम.सी. परिवहन (उज्जैन/रतलाम/मंदसौर/शाजापुर/आलोट) हेतु वर्ष 2018–20 ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निविदा कार्य– दुग्ध संकलन परिवहन/बी.एम.सी. परिवहन कार्य वर्ष 2018–20 बाबत | |
| 2. | ई–निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य | राशि रू. 500/– (अक्षरी रू. पॉच सौ मात्र) |
| 3. | अमानत राशि | राशि रू. 10,000.00 (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट जो उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पक्ष में देय हो |
| 4. | ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय प्रारंभ दिनांक | दिनांक 12.05.2018 दोपहर 12:00 बजे से |
| 5. | ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय अंतिम दिनांक | दिनांक 03.06.2018 शाम 5:00 बजे तक |
| 6. | ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की दिनांक | दिनांक 03.06.2018 शाम 07:00 बजे तक |
| 7. | तकनिकी बीड/ई.एम.डी. खुलने की दिनांक | दिनांक 04.06.2018 सुबह 10:00 बजे |
| 8. | ई–निविदा खुलने की दिनांक एवं समय | दिनांक 05.06.2018 दोपहर 12:00 बजे |
| 9. | निविदा खुलने का स्थान | कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन– 456001(म.प्र.) |

नोट :–1. ई– निविदा ऑनलाईन वेब साईड **http:/www.mpeproc.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।**

2. निविदा संबंधि विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी हेतु **www.mpcdf.nic.in** पर लॉगआन करें। Digital Signature हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002745454/18002748484 पर सम्पर्क करें।

**सही**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन**

# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

## संकलन परिवहन ई–निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

01. प्रत्येक ई–निविदा के साथ ई.एम.डी. रू**पये 10,000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र)** का बैंक ड्रॉफ्ट जो **उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन** के पक्ष में उज्जैन में देय उज्जैन बैंक ड्राफ्ट दिनांक 05.06.2018 सुबह 11:00 बजे तक ई–निविदा खोलने के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ड्राफ्ट की छायाप्रति निविदा भरते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. जमा के प्रस्ताव को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।

02. प्रत्येक संकलन परिवहन मार्ग तथा वाहन के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी।

03. निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित किये जावेंगे, निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंको में अलग–अलग प्रति कि.मी. लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नही किया जावेगा।

04. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्त्यारनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

05. निविदा अस्वीकृत होने पर अर्नेस्टमनी की राशि पांच माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

06. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध को **रू. 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)** के स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रेषित नही किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी। अनुबंधकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर प्रतिभूति राशि जो निर्धारित है नगद जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही संपूर्ण अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

07. प्रतिभूति राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

| | | |
|---|---|---|
| (अ) | जुगाड़ | रूपये 25000.00 |
| (ब) | ट्रेक्टर / टेम्पों / जीप / टाटा 107 या समान क्षमता के वाहन | रूपये 40,000.00 |
| (स) | मेटाडोर / टाटा 407 / 207 / पीकअप या समान क्षमता के वाहन | रूपये 80,000.00 |
| (द) | टाटा 608, 609, 709, 807 / आयशर / स्वराज माजदा / डी.सी.एम.टोएटा / महेन्द्रा, निशान या समान क्षमता के वाहन | रूपये 95,000.00 |

08. अमानत / प्रतिभूति राशि पर दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।

09. दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गो को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो दुग्ध संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है, इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढ़े उसे निर्धारित दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा, साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी उसमें शामिल या अन्य मार्गो में शामिल किया जा सकेगा जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनो का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नही किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल किया जाकर अन्य मार्ग से संबद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दुरी का भुगतान किया जावेगा।

10. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

11. दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

12. संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

13. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह प्रति 15 दिवस का परिवहन देयक (दिनांक 01 से दिनांक 15 एवं दिनांक16 से दिनांक 31 तक) निर्धारित देयक पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ठेकेदार के नाम एवं पते की सील तथा पेन नं. होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान संभवतः आगामी माह की दिनांक 25 तक किया जावेगा।

14. पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह जिस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें, उसे प्रस्तुतकर्ता को मान्य करना होगा।

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि, बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को अमान्य कर निरस्त कर दें।

16. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए। अस्पष्ट, कटी–फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।

17. संघ द्वारा समय सारणी का निर्धारण सामान्यतः 50 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से किया जावेगा, तथा प्रत्येक पाइन्ट हेतु तीन से पॉच मिनिट का समय दूध उठाने तथा खाली केन प्रदाय करने एवं आवश्यक सामग्री देने/ट्रक शीट की पूर्ति हेतु दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

18. निविदाकार को अपने नाम से ही पंजीकृत वाहन के उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) एवं टेक्सी परमिट संलग्न करना होगा तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र से सत्यापित कराना होंगे।

19. निविदा प्रस्तुतकर्ता ने उल्लेखित वाहन क्रय किया तथा किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तांतरित नही हुआ है, तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवयश्क होगा कि, निविदा के साथ वाहन खरीदी का प्रमाण–पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करें। (सेलडीड) (विक्रय प्रमाण पत्र) लेकिन अनुबंध प्रारंभ होने के दिनांक तक वाहन ठेकेदार को वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी फोटो कॉपी एवं मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

20. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा।

21. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबुझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो संघ को यह अधिकार होगा कि जमा अमानत की राशि जप्त कर लें।

22. अमानत की राशि वापस प्राप्त करने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा में वर्णित वाहन संबंधी मूल प्रपत्र संघ द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होंगे।

23. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा भरने की पात्रता नही होगी। वाहन ठेकेदार को इस बाबत् पृथक से शपथ–पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।

24. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर अनुबंधकर्ता द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई इसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा जोखा वाहन ठेकेदार को ही रखना होगा।

25. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

26. द्वितीय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त कर दे एवं अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

27. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नही लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा, एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार से काटा जावेगा।

28. दुग्ध संकलन परिवहन के अनुबंधित वाहनो पर पीछे हुड़ पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये। अन्यथा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप आर्थिक दण्ड किया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी किया जावेगा।

29. अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईधन के रूप में अन्य कोई (घासलेट,मिलावट डीजल या गैस) उपयोग वर्जित माना जावेगा।

30. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थायी लेखा संख्या नं. (पेन नं.) प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टैक्स का कटौत्रा किया जावेगा।

31. वर्ष 2013 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन हेतु ई–निविदा प्रस्तुत की जावे।

32. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किया गया है, उनकी निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं उनकी निविदा तकनिकी बीड में ही सीधे निरस्त कर दी जावेगी।

33. यदि कोई वाहन ठेकेदार जिसके पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नही हो एवं वह निविदा स्वीकृति उपरांत निर्धारित अवधि में नया वाहन उपलब्ध करा सकता है तो इस बाबद शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निविदा भर सकता है। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर आपकी जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जावेगी।

34. समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षैत्र उज्जैन ही रहेगा।

35. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

36. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित (ब्लेक लिस्टेड) किया गया है, तो वह निविदा नहीं भर सकता यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी।

37. यह ठेका अवधि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक की होगी। (जिसे आपसी सहमति से 3 वर्ष (एक–एक वर्ष करके) और बढ़ाया जा सकता है)

38. वाहन के कि.मी. का सत्यापन लांजीट्यूट लेटीट्यूट के आधार पर ही मान्य किया जावेगा।

## दुग्ध संघ एवं दुग्ध संकलन परिवहन निविदाकार के मध्य दुग्ध संकलन परिवहन हेतु किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

अनबंधकर्ता

का फोटो

**1000/–रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।**

**///अनुबंध पत्र///**

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ........................................ को निशपादित गया, जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार) ..........................................श्री/श्रीमती ....................................................... निवासी ............... ......................................... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती .............................................. से है एवं द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आर.एम.आर.डी. दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र ....... ........... तक एवं आर.एम.आर.डी. दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र .................... से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहूॅचाने हेतु परिवहन करने वास्ते प्रथम पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक ........................................... से द्वितीय पक्षकार (उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन) द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तो पर प्रथम पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रूपये –––––– अक्षरी रूपये ––––––––––––––––––––––––––– प्रति कि.मी./प्रतिट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तो के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षो को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गो पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. (अ) यह ठेका अवधि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक प्रभावशील रहेगी।
    (ब) अनुबंध प्रथम वर्ष पश्चात संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर एक–एक कर अधिकतम तीन वर्ष तक (कुल 4 वर्ष) बढ़ाया जा सकता है।
    (स) अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात 03 माह ओर बढ़ाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

02. इन शर्तो को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तो में जहॉ–जहॉ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन माना जावेगा, डेरी

का तात्पर्य उज्जैन डेयरी या शीत केन्द्र से आगर/शाजापुर/रतलाम/मंदसौर/शामगढ़/मनासा/आलोट/सुसनेर होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।

03. प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहूँचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित डेरी/दुग्ध शीत केन्द्र तक लाने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी प्रथम पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी संस्था का दुग्ध न लाने की दशा में प्रथम पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना द्वितीय पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जॉच करने पर द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

अधिकतम 50 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पाईंट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पाईंट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेंगा । विशेष परिस्थितियों मे संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब प्रथम पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में प्रथम पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी, एवं किया गया कटौत्रा वापस नही किया जावेगा।

04. द्वितीय पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशुआहार, घी, मिनरल मिक्सचर, कॉफ स्टार्टर, चारा बीज, घी टीन/पेकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टींग सामान एवं स्टेशनरी आदि समान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा–जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नही की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं मे भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

05. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो प्रथम पक्ष को उन पालियों का कोई भाडा देय नही होगा।

06. निर्धारित समय से संस्थाओं का दूध डेरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेरी पर वाहन के समय पर नही पहूँचने की स्थिति में दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु द्वितीय पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्युनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नही भेजा जाता है, एवं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टे/फट्टे दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

07. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नही रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी प्रथम पक्ष से काटी जावेगी।

08. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या कृत्य जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हों, को छोड़कर) जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नही आने की दशा मे खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।

09. क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या, कृत्यों का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिए दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

10. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।

11. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नही किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करने हुए ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसुली प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

12. प्रथम पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम् उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नही होगा।

यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार करने की नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसुली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं मे भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

15.(अ) पशुआहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तवीक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा। समिति पाईन्ट पर उतारने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशुआहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर टीन/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तवीक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पेकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तवीक भुगतान किया जावेगा।

(ब) पशुआहार/घी/मिनरल मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नही होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी, एवं हानि होने पर प्रथम पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।

(स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशुआहार से यदि संस्था पर पशुआहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशुआहार की राशि एवं साथ ही रूपये 100.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।

(द) पशुआहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रथम पक्ष से प्रतिदिन प्रति बेग रू. 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशुआहार नही ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहूँचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय प्रथम पक्ष के देयक से काटा जावेगा।

16. संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा। डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा। ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें प्रथम पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से वसुली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहा पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नही किया जाता है एवं केन बीच में उतारता हैं तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तर दायित्व प्रथम पक्ष का होगा तथा दुरूपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।

(अ) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या कृत्य के लिये द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नही होगा। प्रथम पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा। उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगी।

(ब) प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षो तक संघ की निविदाओं मे भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

17. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशो का पालन न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्गपर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लें। यदि कटौत्रा शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियम अनुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जावेगी एवं परिवहनकर्ता को कालीसूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। कालीसूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को कालीसूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गो पर भी वाहन चल रहे तो उन्हे भी कालीसूचीबद्ध किया जा सकेगा।

19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गो को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढ़े उसे स्वीकृत दर से भाडे का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गो में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनो का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नही किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बंद किया जाकर अन्य मार्ग से संबंद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दुरी का भुगतान किया जावेगा।

20. अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फट्टे दुध की हानि राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दंड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी प्रथम पक्ष के देयक से किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालु हालत में रहेगा, जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिडकने की व्यवस्था भी प्रथम पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व प्रथम पक्ष का होगा ।

21. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते है या किसी भी प्रकार

की अनियमितताऐं करते पाऐ जाते है, मार्ग में पडने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार प्रथम पक्ष रहेगा यह राशि प्रथम पक्ष के देयक से वसुली योग्य रहेगी तथा प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं मे भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार प्रथम पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

23. प्रथम पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नही करेगा एवं न ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

24. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नही चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नही करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नही किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगें।

25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने उतारने, सामान की देखरेख करने एवं केनो पर पानी छिडकने आदि का कार्य भी प्रथम पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।

26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटो में पुनः प्रथम पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

27. दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनाऐं दुग्ध विक्रय हेतु नही है एवं सुदाना, पशुआहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।

28. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

29. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

30. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. ........................ संबंध ........................ उम्र ........ को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. ........................ को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष देगा।

31. प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

32. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धु नही है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।

33. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाऐं जावेगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देगें वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा। उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जावेगा।

34. प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नही होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं हैं और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाडा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।

(अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु प्रथम पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ मे प्रतिदिन जमा करानी होगी।

(ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदे डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।

(स) दिये गये दूध एवं दूध प्रदार्थो की पावती संघ में लाकर देनी होगी।

(द) समय पर दूध एंव दूध प्रदार्थ नही पहुचानें की स्थिति मे सम्पूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

35. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेगें, वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेगें एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।

36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

37. प्रथम पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं प्रथम पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में प्रथम पक्ष असफल होता है, तो द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह प्रथम पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वेकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष करता है, तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से काटने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

38. दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा किसी भी स्थिति में केनो के ऊपर केन रखने की अनुमति नही दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था प्रथम पक्ष को स्वयं करना होगी।

39. दुग्ध से भरे केनो की अधिकतम क्षमता निम्नानुसार होगी।

| | |
|---|---|
| जीप/टेम्पों/जुगाड़ या समान क्षमता का वाहन | 25 केन |
| पिकअप या समान क्षमता का वाहन | 40 केन |
| मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन | 55 केन |
| टाटा 407 या समान क्षमता का वाहन | 75 केन |
| टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समान क्षमता का वाहन | 120 केन |

अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रूपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

40. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।

41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लीप एवं एडवाईज पहूॅचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहूॅचाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रूपये 5.00 एवं दण्ड स्वरूप प्रथम पक्ष के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फेट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनो में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फेट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही प्रथम पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नही पहूँचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नही करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डाक/शीत केन्द्र तक पहूँचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

45. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, भारत सरकार द्वारा डीजल की दरों में प्रतिदिन भाव तय किये गये है अतः प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 15 तक के प्रतिदिन की डीजल दरों की औसत दर के आधार पर आगामी प्रत्येक माह की दिनांक 16 से 30/31 तक की औसत दर प्रभावशील रहेगी तथा दिनांक 16 से 30/31 के डीजल की दरों की औसत के आधार पर आगामी माह की दिनांक 01 से 15 तक की डीजल की औसत दरें प्रभावशील रहेगी। लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी ।

| **क्रमांक** | **वाहन का प्रकार** | **औसत प्रति लीटर** |
|---|---|---|
| 01. | टेम्पों | 30 कि.मी. |
| 02. | मेटाडोर/जीप/जुगाड | 15 कि.मी. |
| 03. | टाटा एसीई/मीनीडोर/वेन | 22 कि.मी. |
| 04. | टाटा 407 एवं समान क्षमता का वाहन | 10 कि.मी. |
| 05. | टाटा 608, 609, 709, आयशर, माजदा | 08 कि.मी. |
| 06. | ट्रेक्टर | 07 कि.मी. |
| 07. | टाटा 807/मिनी ट्रक | 06 कि.मी. |

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तद्नुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा प्रथम पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।

47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा यह अनुमति वर्ष 2–3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

48. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

49. डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अंतर की राशि प्रथम पक्ष से वसूल की जा सकेगी।

50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

51. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्वयं सत्यापित की छाया प्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी

52. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नही चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

53. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

54. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षैत्र उज्जैन रहेगा।

मैं ............................................................................................................ प्रथम पक्षकार अनुबंधशर्तों का अवलोकन भलीभॉति एवं होशोंहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूॅ।

**द्वितीय पक्ष**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ**
**मर्यादित, उज्जैन**

**प्रथम पक्ष**

**हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता**
**नाम ——————————————**
**पिता/पति का नाम ——————————**
**पता ——————————————**
**दूरभाष क्रं.————————————**
**मोबाईल नम्बर ——————————**
**स्थाई लेखा संख्या पेन——————————**
**आधार कार्ड नम्बर ——————————**

**अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर**

हस्ताक्षर ————————————

01. नाम ————————————
पता ————————————
मो0 नं. ————————————
आई.डी. प्रूफ ————————
आधार कार्ड ————————

02. नाम ————————————
पता ————————————
मो0 नं.————————————
आई.डी. प्रूफ ————————
आधार कार्ड ————————

**अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता**

हस्ताक्षर ————————————

01. नाम ————————————
पता————————————
मो0 नं.————————————
आई.डी. प्रूफ ————————
आधार कार्ड ————————

02 नाम————————————
पता————————————
मो0 नं.————————————
आई.डी. प्रूफ ————————
आधार कार्ड ————————

**नोटः– उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।**

**प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र ————**

**सील सहित**

# दुग्ध संकलन परिवहन मार्गों का विवरण

**दुग्ध संयंत्र उज्जैन**

| क्रं. | रूट क्रं. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | उज्जैन–आलमपुर उड़ाना–उज्जैन | 1.04 | 176 | 1600/1300 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 2 | उज्जैन–भेरूगढ़ –उज्जैन | 1.07 | 250/12.93 | 3500/2950 | आयशर 3.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 3 | 2B | पिपलियाहामा ढाबला शटल | 0.72 | 86/12.48 | 800/700 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 3 | उज्जैन–अम्बो दिया–उज्जैन | 0.75 | 181/10.73 | 1785/1400 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 5 | 5A | हमिरखेड़ी चन्दुखेडी शटल | 1.17 | 54/13.73 | 800/600 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 6 | 7 | उज्जैन–झार्डा–उज्जैन | 1.49 | 310/14.22 | 3900/3400 | आयशर 3.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 7 | 7A | पताखेड़ी–खेड़ाख जुरिया शटल | 1.35 | 197/ | 1700/1400 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 8 | 8A | बनबना खेड़ाखजुरिया बी.एम.सी. शटल | 1.05 | 165/11.78 | 1800/1500 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 9 | 8B | मिनावदा खेड़ाखजुरिया बी.एम.सी. शटल | 1.07 | 211 | 1900/1600 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 10 | 8C | निपानिया बदर महिदपुर शटल | 1.98 | 85 | 700/600 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 11 | 9 | उज्जैन–माकड़ोन –उज्जैन | 0.68 | 320/13.17 | 4800/4500 | आयशर 3.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 12 | 9A | कपेली तराना शटल | 0.70 | 151/10.14 | 1400/1300 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 13 | 10 | उज्जैन–खारपा–उज्जैन | 1.00 | 220/12.10 | 1900/1600 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 14 | 11 | उज्जैन–खेड़ाचित ावलिया–उज्जैन | 0.82 | 220/13.82 (tata 407) | 3200/2800 | आयशर 3.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 15 | 11 A | उज्जैन–बिछड़ोद –उज्जैन | 0.77 | 150/13.68 | 1500/1400 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 16 | 12 | उज्जैन–महू–जैथल–उज्जैन | 1.32 | 220/11.24 | 2200/2000 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

## दुग्ध शीत केन्द्र, मनासा

| क्रं. | रूट क्र. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | मनासा–डीकेन–मनासा | 1.02 | 210/11.18 | 1481/894 | टाटा 407 2.5 टन यासमान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 85 | मनासा–कुण्डला–मनासा | 0.52 | 212/11.22 | 2170/1583 | टाटा 407 2.5 टन यासमान भार क्षमता का वाहन |
| 3 | 86 | मनासा–बंग्रेड–मनासा | 0.53 | 182/8.74 | 1286/1022 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 87 | मनासा–आंत्रीमाता–मनासा | 1.14 | 189/11.59 | 1481/1007 | टाटा 407 2.5 टन यासमान भार क्षमता का वाहन |
| 5 | 81 | मनासा–गांधीसागर–मनासा | 0.65 | 304/8.65 | 2415/1516 | टाटा 407 2.5 टन यासमान भार क्षमता का वाहन |
| 6 | 83 | मनासा–पड़दा–मनासा | 1.04 | 110/10.26 | 507/449 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

## दुग्ध शीत केन्द्र आलोट

| क्रं. | रूट क्र. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 A | मण्डावल बी.एम.सी. शटल (निपानिया लीला पेटलावद बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.00 | 66 | 333/296 | टाटा ए.सी.ई. 107 या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 95 A | पिपलियासिसौदिया बरखेड़ा बी.एम.सी. शटल (मुण्डला सोंधिया, घटिया साईदास, पिपलिया सिसोदिया बीएमसी मार्ग का शटल) | 0.94 | 80 | 478/306 | टाटा ए.सी.ई. 107 या समान भार क्षमता का वाहन |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 96 A | बड़ोद, लक्ष्मीपुरा बी.एम.सी. शटल (मुण्डला सोंधिया, घटिया साईदास, पिपलिया सिसोदिया बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.47 | 177 | 658/331 | टाटा ए.सी.ई. 107 या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 94 A | घटीया साईदास बी.एम.सी. शटल (निपानिया लीला पेटलावद बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.17 | 80 | 342/237 | टाटा ए.सी.ई. 107 या समान भार क्षमता का वाहन |
| 5 | 91 A | पेटलावद सगवाली बी.एम.सी. शटल (निपानिया लीला पेटलावद बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.05 | 104 | 541/458 | टाटा ए.सी.ई. 107 या समान भार क्षमता का वाहन |
| 6 | 95 B | शीसाखेड़ी बी.एम.सी. शटल (मुण्डला सोंधिया, घटिया साईदास, पिपलिया सिसोदिया बीएमसी मार्ग का शटल) | 0.94 | 70 | 135/61 | टाटा ए.सी.ई. 107 या समान भार क्षमता का वाहन |
| 7 | 94 B | निपानियाराजगुरू बी.एम.सी. शटल (निपानिया लीला पेटलावद बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.17 | 94 | 458/327 | टाटा ए.सी.ई. 107 या समान भार क्षमता का वाहन |

## दुग्ध शीत केन्द्र आगर

| क्रं. | रूट क्र. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | आगर–बड़ौद–आगर | 0.91 | 241/12.09 | 1800/1000 | टाटा 407 2.25 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 28 | आगर–चौमा–आगर | 1.16 | 247/10.06 | 1200/700 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 3 | 29 | आगर–टुकराल–आगर | 0.77 | 215/11.95 | 1800/1000 | टाटा 407 2.25 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 30 | आगर–बीजानगरी–आगर | 1.08 | 184/10.13 | 1200/700 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 5 | 33 | आगर–पिपलोन–आगर | 1.01 | 179/10.73 | 900/500 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 6 | 34 | आगर–गुरासिया–आगर | 0.62 | 150/10.28 | 1300/900 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 7 | 35 | आगर–पिलवास–आगर | 1.34 | 252/10.22 | 1200/700 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 8 | 32A | आगर–लक्ष्मीखेड़ा–मोयाखेड़ा A–आगर | 0.67 | 114/11.00 | 1000/700 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 9 | 32B | आगर–लक्ष्मीखेड़ा बापचाB–आगर | 0.31 | 59/12.00 | 1100/800 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

## दुग्ध शीत केन्द्र सुसनेर

| क्रं. | रूट क | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | सुसनेर–नलखेड़ा–सुसनेर | 0.60 | 220/10.13 | 2200/1080 | पिकअप 1.1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 27 | सुसनेर–पटपटा–सुसनेर | 0.40 | 173/10.13 | 2240/1400 | पिकअप 1.1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

## दुग्ध शीत केन्द्र, शामगढ़

| क्रं. | रूट क्र. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | शामगढ़–चंदवासा–शामगढ़ | 0.72 | 214/9.41 | 2600/1400 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 71 | शामगढ़–अजयपुर–शामगढ़ | 0.91 | 246/9.41 | 2750/1800 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 3 | 73 | शामगढ़–बालोदा–शामगढ़ | 0.73 | 260/9.59 | 4400/1500 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 77 | शामगढ़–साठखेड़ा–शामगढ़ | 0.71 | 236/9.53 | 3560/2000 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 5 | 74B | शामगढ़–अरनियाभाव–शामगढ़ | 0.80 | 208 | 2100/1200 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 6 | 74 | शामगढ़–भानपुरा–शामगढ़ | 0.97 | 344/10.11 (tata 407) | 4600/2000 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 7 | 74A | भैंसोदा–भानपुरा शटल | 1.02 | 160/8.83 (tata ACE 107) | 1900/800 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

## दुग्ध संयंत्र, रतलाम

| क्रं. | रूट क्र. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | रतलाम–पचलासी–रतलाम | 1.12 | 203/10.38 | 1520/1026 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 40A | गेड़ावदा बड़ागांव शटल (बिड़वाल बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.71 | 138 | 1000/800 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 3 | 40B | भीलसुड़ा–बड़ागांव शटल (बिड़वाल बीएमसी मार्ग का शटल) | 2.80 | 131/9.49 | 1200/1000 | टाटा मेक्सिमों 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 40C | जस्साखेड़ी–बड़ागांवा शटल (बिड़वाल बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.55 | 106/12.18 | 1216/988 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | नागखजुरी रिंगनोद शटल (कालुखेड़ा बीएमसी मार्ग का शटल) | 1.87 | 229/9.69 | 1200/920 | फोर्स 207 1टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 6 | 38 | रतलाम–घटगारा–रतलाम | 1.59 | 298 | 1400/1300 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 7 | 43 | रतलाम–धारसीखेड़ा–रतलाम | 1.40 | 258/10.77 | 1500/1300 | टाटा एसीई 107 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 8 | 41 | रतलाम–हरीयाखेड़ा–रतलाम | 0.71 | 204 | 1800/1500 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

**दुग्ध संयंत्र, मंदसौर**

| क्रं. | रूट क्र. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी. /दर | दुग्ध संकलन अधिकतम/ न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | मंदसौर–कोचवी–मंदसौर | 0.60 | 180/9.53 | 2550/2000 | पिकअप 1.5 टन यासमान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 60 | मंदसौर–अड़मालिया –मंदसौर | 2.16 | 228/9.12 | 980/600 | पिकअप 1 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 3 | 62 | मंदसौर–चीताखेड़ा–मंदसौर | 0.70 | 260/9.07 | 3300/2000 | टाटा 407 2.5 टन या समानभार क्षमता का वाहन |
| 4 | 53 | दलावदा–नकेड़िया– दलावदा बी.एम.सी. शटल (सीतामऊ बीएमसी मार्ग का शटल) | 0.70 | 128 | 1400/1000 | टाटा ए.सी.ई. 1 टन या समानभार क्षमता का वाहन |
| 5 | 59 | बालागुढ़ा–पानमोड़ी–बालागुढ़ा बी.एम.सी. शटल (बालागुढ़ा बीएमसी मार्ग का शटल) | 0.99 | 224/8.24 | 1600/1700 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 6 | 63 | उमरिया–कुणी–उमरिया बी. एम.सी. शटल ((लुनाहेड़ा उमरिया बीएमसी मार्ग का शटल)) | 1.23 | 140/7.88 | 850/1500 | पिकअप 1.5 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

## दुग्ध शीत केन्द्र शाजापुर

| क्रं. | रूट क्रमांक | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी. / दर | दुग्ध संकलन अधिकतम / न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | शाजापुर–लाहोरी–कालीसींध–शाजापुर | 0.58 | 147/10.28 | 2620/971 | पिकअप 0.8 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 18 | शाजापुर–सतगांव–दुपाड़ा –शाजापुर | 0.51 | 120/8.08 | 1867/832 | पिकअप 0.8 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 3 | 23 | शाजापुर–कुमारिया–छतगांव–शाजापुर | 0.52 | 111/10.98 | 2408/1083 | पिकअप 0.8 टन या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 17 | शाजापुर–रंथभंवर–बैरछा –शाजापुर | 0.59 | 86/8.13 | 1182/946 | पिकअप 0.8 टन या समान भार क्षमता का वाहन |

**नोट :–**

01– यदि वाहन स्वामी चाहे तो निर्धारित क्षमता से अधिक की निविदा भी प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जा सकेगा।

02– यदि वाहन स्वामी चाहे तो निर्धारित क्षमता से कम क्षमता के वाहन की निविदा भी प्रस्तुत कर सकता है लेकिन उसे संबंधित मार्ग की सभी केने व्यवस्थित लानी होगी एवं पषुआहार एवं अन्य सामग्री भी निर्धारित मात्रा में ले जाना होगी।

03– संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

04– वर्ष 2013 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।

05– दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

06– संयंत्र / शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र / शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

# शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा)

## नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

नाम :– ––––––––––––––––––––––––––––––––
पिता :– ––––––––––––––––––––––––––––––––
उम्र :– ––––––––––––––––––––––––––––––––
धंधा :– ––––––––––––––––––––––––––––––––
निवासी :– ––––––––––––––––––––––––––––––––
आधार नं. :– ––––––––––––––––––––––––––––––––
मोबाईल नं. :– ––––––––––––––––––––––––––––––––

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दुग्ध संकलन परिवहन / बी.एम.सी. परिवहन की निविदा जमा की गई है यदि संघ द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो में आवेदन अनुसार निर्धारित क्षमता का वाहन 15 दिवस में उपलब्ध कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा समय–सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात होती है तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

**दिनांक –**
**स्थान –** **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ––––––––––––**

## सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नही लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

**दिनांक –**
**स्थान –** **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ––––––––––––**

# दुग्ध संकलन परिवहन ई–निविदा हेतु तकनिकी योग्यता

| निविदा प्रस्तुतकर्ता का फोटो |
|---|

**प्रति,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय**
**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**
**उज्जैन**

**महोदय,**

मैने आपके कार्यालय की ई–निविदा क्रमांक 1717 दिनांक 10.05.2018. पढ़ ली है। तद्नुसार यह ई–निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक रूप से दुग्ध संकलन परिवहन अनुबंध करने को तैयार हूॅं। अर्नेस्टमनी **राशि रूपये 10,000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र)** का डी.डी. क्रमांक ———————— दिनांक ——————— स्केन कर ई–निविदा के साथ अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊॅंगा।

वांछित जानकारी निम्नानुसार है :–

01–वाहन स्वामी का नाम ........................................ पिता का नाम ........................................
वारिस ..................................... उम्र .................... संबंध ——————————————

02–वाहन का प्रकार.................................वाहन क्रमांक..............................मॉडलवर्ष..................पेन नं.....................

03–वाहन का पंजीयन क्रमांक.................................................................वाहन क्षमता.........................
भार क्षमता मे.टन .............................................

04–दुग्ध संकलन परिवहन मार्ग का पूरा नाम ................................................... एवं रूट क्रमांक.....................

05–अवधि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक तथा आपसी सहमति से 03 वर्ष (एक–एक वर्ष) अनुबंध अवधि बढ़ाने का संघ को अधिकार प्रदान करता हूॅं।

06–यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नही है तो नया वाहन क्रय हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने संबंधित नोटरी से मूल शपथ–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

07–वाहन ठेकेदार को अपने पेन नंम्बर दर्शाते हुऐ शपथ पत्र आयकर अधिनियम की धारा 194 सी के तहत यह भी देना होगा की उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में ट्रांसपोर्ट व्यापार में 10 से अधिक वाहनों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

08–क्रमांक 02, 03, 07 एवं 08 से संबंधि वाहन के पंजीयन प्रपत्र की प्रतियां, डी.डी., पेन कार्ड निविदा प्रपत्र के साथ स्केन कर अपलोड करें एवं डीडी की मूल प्रति एवं स्केन किये गये प्रपत्रों की छायाप्रति भौतिक रूप से बंद लिफाफे में संघ कार्यालय में जमा करावें। जिनके नाम से वाहन पंजीकृत है उनका पासपोर्ट साईज का फोटो भी आवेदन पत्र पर चस्पा किया जाना अनिवार्य है।

**नोट :– वर्ष 2013 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।**

मैं घोषित करता/करती हूॅं कि, उपरोक्त अनुसार क्रमांक 01 से 08 तक सत्य है। मुझे संघ की सभी शर्ते एवं नियम मान्य है, अगर दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

**निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर**

**निविदाकारपूरा नाम ——————————————————**
**पता————————————————————————**
**पेन न. ———————— मोबाइल नम्बर ————————**
**आधार न. ————————**

**हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य**

01————————02 ——————— 03——————— 04 ———————— 05 ———————— (6) ——————————

# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

## बी.एम.सी. परिवहन हेतु ई–निविदा प्रस्तुत करने बाबद निर्देश

01. प्रत्येक निविदा के साथ ई.एम.डी. **रूपये 10,000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र)** का बैंक ड्रॉफ्ट जो **उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन** के पक्ष में उज्जैन में देय उज्जैन बैंक ड्राफ्ट दिनांक 05.06.2018 सुबह 11:00 बजे तक निविदा खोलने के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। ड्राफ्ट की छायाप्रति निविदा भरते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. जमा के प्रस्ताव को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।

02. प्रत्येक बी.एम.सी. परिवहन मार्ग तथा वाहन के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी।

03. प्रत्येक मार्ग तथा वाहन के लिए बयाने की राशि भी अलग–अलग जमा करना होगी ।

04. निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित किये जावेंगे, निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंको में अलग–अलग प्रति किलोमीटर लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नही किया जावेगा।

05. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्त्यारनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

06. निविदा अस्वीकृत होने पर बयाने की राशि 5 माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

07. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध को **रू. 1000.00 (एक हजार रू. मात्र)** के स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रेषित नही किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा बयाना राशि जप्त कर ली जावेगी, अनुबंधकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर प्रतिभूति राशि जो निर्धारित है नगद जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही संपूर्ण बयाना राशि जप्त कर ली जावेगी।

08. प्रतिभूति राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है ।

| | | |
|---|---|---|
| (अ) | इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर 709, (5000 लीटर दूध क्षमता) | रूपये 1,20,00.00 |
| (ब) | इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर 909, (6000 लीटर दूध क्षमता) | रूपये 1,50,00.00 |
| (स) | इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर 1109, (7500 लीटर दूध क्षमता) | रूपये 1,75,000.00 |
| (द) | इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर 1612, (9000 लीटर दूध क्षमता) | रूपये 2,00,000.00 |
| (इ) | इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर 2213, (13000 लीटर दूध क्षमता) | रूपये 2,25,000.00 |

09. अमानत/प्रतिभूति राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नही दिया जावेगा।

10. दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गो को बढाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढे उसे निर्धारित दर से भाडे का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की बी.एम. सी. दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन बी.एम.सी. दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी उसमें शामिल या अन्य मार्गो में शामिल किया जा सकेगा जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनो का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नही किया जावेगा।

11. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

12. दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

13. संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर वाहन को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

14. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक माह प्रति 15 दिवस का परिवहन देयक (दिनांक 01 से दिनांक 15 एवं दिनांक 16 से दिनांक 31 तक) निर्धारित देयक पर बनाकर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ठेकेदार के नाम, पते एवं पेन नंबर की सील होना आवश्यक होगा। परिवहन देयकों के भुगतान हेतु दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 17 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया

जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 31 तक का देयक दिनांक 2 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा ।

15. पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह जिस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें, उसे प्रस्तुतकर्ता को मान्य करना होगा ।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि, बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को अमान्य कर निरस्त कर दें और निगोशिएशन के आधार पर अंतिम निर्णय करें ।

17. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए । अस्पष्ट, कटी–फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा ।

18. संघ द्वारा समय सारणी निर्धारित सामान्यतः 50 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से बनाई जावेगी, तथा प्रत्येक पाइन्ट हेतु पॉच मिनिट का समय दूध उठाने तथा खाली केन प्रदाय करने तथा आवश्यक सामग्री देने एवं ट्रक शीट की पूर्ति हेतु दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई जा सकती है ।

19. निविदाकार को अपने निजी वाहन के उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) संलग्न करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयक प्रमाण–पत्र बतलाना होंगे

20. निविदा प्रस्तुतकर्ता ने उल्लेखित वाहन क्रय किया तथा किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तांतरित नही हुआ है, तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवयश्क होगा कि, निविदा के साथ वाहन खरीदी का प्रमाण–पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करें। (सेलडीड) (विक्रय प्रमाण पत्र) लेकिन अनुबंध प्रारंभ होने के दिनांक तक वाहन ठेकेदार को वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी फोटो कॉपी एवं मूल पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा निरस्त की जा सकेगी ।

21. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा।

22. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबुझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो संघ को यह अधिकार होगा कि जमा अमानत की राशि जप्त कर लें।

23. उज्जैन दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकरी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा भरने की पात्रता नही होगी। वाहन ठेकेदार को इस बाबत् प्रथक से शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा।

24. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर अनुबंधकर्ता द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा जोखा वाहन ठेकेदार को ही रखना होगा।

25. द्वितीय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस इकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त करने व इकरारनामा निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी ।

26. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबंध प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नही लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा, एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार से काटा जावेगा।

27. अनुबंधित वाहन में ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईधन के रूप में अन्य कोई (घासलेट, मिलावट डीजल या गैस) उपयोग वर्जित माना जावेगा ।

28. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थाई लेखा संख्या नं. (पेन नं.) पस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टेक्स का कटौत्रा किया जावेगा।

29. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

30. समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र उज्जैन ही रहेगा।

31. वर्ष 2013 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन हेतु निविदा प्रस्तुत की जावे।

32. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किया गया है, उनकी निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं उनकी निविदा तकनिकी बीड में ही सीधे निरस्त कर दी जावेगी।

33. यदि कोई वाहन ठेकेदार जिसके पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नही हो एवं वह निविदा स्वीकृति उपरांत निर्धारित अवधि में नया वाहन उपलब्ध करा सकता है तो इस बाबद शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निविदा भर सकता है। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध न कराने पर आपकी जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जावेगी।

34. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

35. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित (ब्लेक लिस्टेड) किया गया है, तो वह निविदा नहीं भर सकता यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं जमा अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी।

36. बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर **GPS System** प्रथम पक्ष द्वारा लगवाना होगा तथा मासीक सीम का रखरखाव भी प्रथम पक्ष को वहन करना होगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा **GPS System** नहीं लगवाया जाता है तो संघ द्वारा **GPS System** लगवाया जाकर सीम एवं समस्त व्यय का कटौत्रा प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।

37. यह ठेका अवधि अर्थात दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक की होगी, जिसे आपसी सहमति से तीन वर्ष ओर बढ़ाया जा सकता है।

38. दुग्ध परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि में सामान्यता वृद्धि नही की जाए। निर्धारित अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व ही निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जावे।

39. निविदा क्रयकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा की वर्तमान व्यवस्था के साथ–साथ टेंकर में जी.पी.एस. मानीटरिंग सिस्टम, चाहे अनुसार सेंसर एवं लेबल सेंसर तह सीसीटीवी केमरा स्थापित हो।

40. संघ द्वारा उड़नदस्ते का गठन कर अनुबंधित टेंकर का अकास्मिक रूप से फालोअप एवं चेकिंग कर टेस्टिंग कराई जाऐगी, जिसमें अनुबंधकर्ता को दोशी पाऐ जाने पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

41. टेंकर के ढक्कन के अन्दर भी गन सील लगाने की व्यवथा की जावे। ढक्कन के Hinge में भी सेंसर लगाये जावे।

42. टेंकरों में डीजल भरवाने/बेट्री परिवर्तन/चार्जिग/सुधार कार्य पूरे दिन में एक बार ऑफ टाईम में ही सुनिश्चित किया जाए।

43. समस्त टेंकरों में बैरल के ऊपर के ढक्कन के साथ सपोर्ट होना आवश्यक है, साथ ही पीछे के नटबोल्ड की वेल्डिंग कराई जाए ताकि उन्हें खोला न जा सके।

44. टेंकरों के परिचालन हेतु समय सारणी बनाकर उसका पालन कराना सुनिश्चित किया जाए।

45. प्रथम बी.एम.सी. से लेकर अंतिम बी.एम.सी. तक पृथक–पृथक सील लगाई जाए जिसे खोलने का अधिकार केवल बी.एम.सी. समिति को ही होगा।

46. अंतिम सील गुण नियंत्रण शाखा की उपस्थिति में दुग्ध शीतकेन्द्र/संयंत्र पर सत्यापित कर खोली जाए।

47. टेंकर प्राप्त होने पर तौलने के पूर्व केबिन के अंदर पानी की केन, स्टेपनी आदि का सत्यापन कराया जाए।

48. सेम्पल लेने के पूर्व सील का सत्यापन कराया जाए।

49. एक ही अवस्था में तौल कांटे पर वजन लिया जाकर पंजीबद्ध किया जाए।

50. प्रत्येक टेंकर में दुग्ध परिवहन करते समय बीएससी/डेयरी टक्नोलाजी/बीएससी केमीस्ट्री की योग्यता प्राप्त कर्मचारी को टेंकर से दुग्ध परिवहन के दौरान टेंकर में बैठाने की व्यवस्था करें। इस हेतु ठेकेदार तथा सर्विस प्रोवाईडर से सेवाएं ली जा सकती है।

51. टेंकर परिवहन के दौरान रखे गये उक्त कर्मचारी को गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण दुग्ध संघ के प्रभारी गुण नियंत्रण द्वारा दिया जाकर आगामी 7 दिवस में प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

# बी.एम.सी. ई–निविदा परिवहन हेतु इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर अनुबंध पत्र

## अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ——————— को लिखा गया, जिसका द्वितीय पक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन एवं प्रथम पक्ष श्री/श्रीमती ————————————— निवासी ——————————— एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती ——————————— से है ।

संविदाकार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों से जहां बल्क मिल्क कुलर स्थापित है वहां से डेयरी संयंत्र ———————————— तक दुग्ध संकलन पहूंचाने हेतु इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर द्वारा दुग्ध परिवहन करने वाले अपने निजी वाहन ———————————————— द्वारा निर्देशित समय पर टेंकर से दुग्ध परिवहन हेतु आवेदन किया है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिसमें आगे लिखे गये अनुबंधो एवं शर्तो पर संविदाकार का आवेदन परिवहन दर रू.————————— अक्षरी रूपये ———————————— प्रति कि.मी./प्रतिदिन पर स्वीकार किया है।

अतएव् यह अनुबंध पत्र इस बात का साक्षी है एवं एतद् द्वारा मार्ग ———————— एवं दर रू.———————— अक्षरी रूपये ——————————————प्रति कि.मी. पर अग्रलिखित समस्त शर्तो के अनुसार अनुबंध किया जाता है। अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा एवं यह शर्ते उभय पक्षो को मान्य है। दुग्ध संकलन मार्गो पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. यह ठेका अवधि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सहमति से यह अनुबंध अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार रहेगा साथ ही अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात 03 माह ओर बढ़ाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

02. प्रतिदिन दुग्ध समितियों ( बल्क मिल्क कूलर वाली ) में संकलित दूध को दूध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र—————— तक परिवहन की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जावेंगे। निर्देशानुसार समस्त दुग्ध समितियों का दूध (क्षमता अनुसार) लाना होगा, यदि एक बार में समस्त संकलित दूध नही आ सकें तो एक से अधिक बार दुग्ध संकलन हेतु आना जाना–होना।

03. यह की दुग्ध समितियों से दुग्ध संयंत्र तक की दूरी का सत्यापन लांजीट्यूट लेटीट्यूट के आधार पर किया जावेगा एवं तद्नुसार ही भुगतान किया जावेगा।

04. यह कि दुग्ध परिवहन हेतु टेंकर बैरल एस.एस. 304 इन्सूलेटेड होना आवश्यक है ।

05. यह कि टेंकर का वाल्व लिकेज नही होना चाहिए, लिकेज होने की दशा में होने वाली दूध हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से कटौत्रा की जावेगी।

06. प्रथम पक्ष द्वारा समितियों को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्सचर, टेस्टींग सामान, एवं स्टेशनरी सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा–जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा। संघ से भेजे गये सामान को समिति को देकर प्राप्ति रसीद संघ कार्यालय में जमा करना होगी। समिति को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौत्रा प्रथम पक्ष के देयक से किया जावेगा

07. यह कि यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है एवं इसकी सूचना दी जाती है तो प्रथम पक्ष को उन दिनों का कोई भाड़ा देय नही होगा।

08. यह कि निर्देशित समय से संस्थाओं का संकलित दूध डेरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, डेरी संयंत्र पर दूध नही पहूंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह प्रथम पक्ष से वसुल की जावेगी । यदि प्रथम पक्ष द्वारा संकलन हेतु वाहन नही भेजा जाता है एवं द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संघ को जो भी अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी वह राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जावेगी।

09. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्या कृत्यों (ऐसे कृत्या कृत्य जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधी या उनकी और से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोडकर जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणो को छोडकर वाहन के निश्चित समय पर नही आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी समय के देयक से काट ली जावेगी।

10. क्रमांक 9 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/ प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या, कृत्यो का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

11. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौत्रा प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।

12. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन परिवहन हेतु वाहन नही भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली संम्पूर्ण हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये दुग्ध परिवहन हेतु इन्सुलेटड टेंकर की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकती है ।

13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नही लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड किया जावेगा ।

15. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे इनके द्वारा लापरवाही या अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगी।

16. प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड दे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें।

17. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें । इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18. चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गडबडी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाते है, तो अनुबंध अवधि की समस्त दूध कमी एवं इससे समिति/संघ को होने वाली हानि का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा, साथ ही आगामी ई–निविदाओं में भाग नहीं लेने दिया जावेगा इस हेतु प्रथम पक्ष को ब्लेक लिस्टेड प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

19. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानुन अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी ।

20. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नही करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

21. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नही चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नही करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।

22. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटो में पुनः सुधरवाया जावेगा।

23. दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाऐं लिखवाना होगी एवं पत्र पेटी अपनी ओर से लगवाना होगी।

24. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष ओर उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

25. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

26. प्रथम पक्ष अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नही चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर पर समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क रूपये 5,000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

27. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती /कुं. ..............................................................

संबंध .............................. उम्र .................. को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। उसकी मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. .............................................. को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा।

28. अनुबंधकर्ता तथा अधिकृत अधिकारी के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

29. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धू नही है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ–पत्र पर प्रकट करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।

30. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाऐं जावेगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे, एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।

31. स्थानीय/मध्यप्रदेश शासन/भारत शासन द्वारा जो भी कर की दरें लागू की जावेगी वह वाहन अनुबंधकर्ता के परिवहन देयकों से काट ली जावेगी एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा की जाकर उसका प्रमाण–पत्र संघ द्वारा निविदाकर्ता को दिया जावेगा।

32. द्वितीय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नही दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस इकरार नामा की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में महाप्रबंधक को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त करने व इकरारनामा निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

33. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

| क्रमांक | वाहन का प्रकार | औसत प्रति लीटर |
|---|---|---|
| 01. | इन्सुलेटेड टेंकर टाटा 407 एवं समान क्षमता का वाहन (3000 लीटर दूध) | 10 कि.मी |
| 02. | इन्सुलेटेड टेंकर 709 एवं समान क्षमता का वाहन (5000 लीटर दूध) | 8 कि.मी |
| 03. | इन्सुलेटेड टेंकर 909 एवं समान क्षमता का वाहन (6000 लीटर दूध) | 7 कि.मी |
| 04. | इन्सुलेटेड टेंकर 1109 एवं समान क्षमता का वाहन (7500 लीटर दूध) | 6 कि.मी |
| 05. | इन्सुलेटेड टेंकर 1612 एवं समान क्षमता का वाहन (9000 लीटर दूध) | 4 कि.मी |
| 06. | इन्सुलेटेड टेंकर 2213 एवं समान क्षमता का वाहन (13000 लीटर दूध) | 4 कि.मी |

डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नही की जावेगी ।

34. विभिन्न दुग्ध समितियों द्वारा टेंकर में दूध लोड किये जाने वाले दूध की मात्रा एवं फेट/एसएनएफ का सत्यापन प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा तथा तद्नुसार दुग्ध संयंत्र में पहूंचने पर कुल दूध की मात्रा एवं फेट/एसएनएफ के हस्तांतरण प्रथम पक्ष का होगा। किसी प्रकार की दूध मात्रा एवं फेट/एसएनएफ कम आने पर अंतर की वसुली प्रथम पक्ष के देयको से की जा सकेगी।

35. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा, जोखा प्रथम पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।

36. अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाने पर अनुबंध दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा।

37. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी ।

38. प्रथम पक्ष को टेंकर परिवहन स्टॉफ के अधिकृत लायसेंस पुलिस सत्यापन पश्चात छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगी।

39. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकर ढ़ाबा/होटल/दुकान आदि के सामने खड़ा नहीं रखा जावेगा।

40. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

41. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकर की क्षमता आर.टी.ओ. से सत्यापन करवाया जावे एवं उसकी प्रति संघ कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

42. प्रथम पक्ष द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना होगी।

43. प्रथम पक्ष द्वारा टेंकरों पर संघ का विज्ञापन पेंटिंग स्वयं के व्यय पर करना होगी।

44. टेंकर का तापमान 2 डिग्री सेंटिग्रेड से अधिक न हो।

45. दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमताओं के टेंकरो को एक मार्ग से दुसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टेंकर को चला सकता है एवं उसी अनुसार दुरी का भुगतान किया जावेगा।

46. बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर **GPS System** प्रथम पक्ष द्वारा लगवाना होगा तथा मासीक सीम का रखरखाव भी प्रथम पक्ष को वहन करना होगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा **GPS System** नहीं लगवाया जाता है तो संघ द्वारा **GPS System** लगवाया जाकर सीम एवं समस्त व्यय का कटौत्रा प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।

47. दुग्ध संकलन वाहन/बी.एम.सी. टेंकर के वाहन चालक 18 वर्ष कम तथा बिना लाईसेंस के न हो प्रत्येक वाहन चालक से उसके लाईसेंस की प्रति अनिवार्यतः दुग्ध संघ में प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई जावें। वाहन चालकों का रिकार्ड/लाईसेंस की प्रति, पता/मोबाइल नं. /प्रमाण पत्र/अनुभव आदि दुग्ध संघ में प्रस्तुत किये जावे।

48. दुग्ध संघ के संकलन वाहन/बी.एम.सी. टेंकर वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए ऐसे वाहन चालकों की प्रथम पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोशियों को सेवा से पृथक किया जावे।

49. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

50. समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षैत्र उज्जैन रहेगा।

मैं श्री/श्रीमती ———————————————————— प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तो का अवलोकन भली भांती एवं होशोंहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ**
**मर्यादित, उज्जैन (द्वितीय पक्ष)**

**हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता (प्रथम पक्ष)**
**नाम ————————————————————**
**पिता/पति का नाम ————————————**
**पता ————————————————————**
**दूरभाष क्रं.————————————————**
**मोबाईल नम्बर ——————————————**
**आधार नम्बर ———————————————**
**स्थाई लेखा संख्या पेन————————————**

**अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर**

01. नाम ——————————————
पता ——————————————
मो0 नं. ————————————
आधार नंम्बर ——————————
हस्ताक्षर ————————————

02. नाम ——————————————
पता ——————————————
मो0 नं.—————————————
आधार नम्बर ——————————
हस्ताक्षर ————————————

**अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता**

01. नाम ——————————————
पता——————————————
मो0 नं.—————————————
आधार नम्बर ——————————
हस्ताक्षर ————————————

02 नाम——————————————
पता——————————————
मो0 नं.—————————————
आधार नम्बर ——————————
हस्ताक्षर ————————————

**<u>नोटः–</u> उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।**

**प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र ————**
**सील सहित**

# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन

## इन्सुलेटेड मिल्क टेंकर मार्ग संबंधी जानकारी

**दुग्ध संयंत्र मंदसौर**

| क्रं. | रूट क्र. | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम / न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51/ 54 | मंदसौर–भावगढ़–भाटरेवास–मंदसौर बी.एम.सी. | 0.30 | 217/15.72 (1212) | 7100/5200 | 1109/8000 Lit या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 52/ 56 | मंदसौर–कयामपुर–संजीत–मंदसौर | 0.44 | 248/18.08 | 7000/4500 | 1109/8000 Lit |
| 3 | 55/ 61 | मंदसौर–मुण्डलाराम–मल्हारगढ़–मंदसौर | 0.33 | 277/19.12 | 8800/5800 | Tata 1613/1109/9000 Lit या समान भार क्षमता का वाहन |
| 4 | 59/ 53/ 63 | मंदसौर–बालागुढ़ा–सीतामऊ–उमरिया–लुनाहेड़ा –मंदसौर | 0.20 | 282/17.34 | 9150/8300 | 1109/8000 Lit या समान भार क्षमता का वाहन |

**दुग्ध संयंत्र उज्जैन**

| क्रं. | रूट क्र | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम / न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8D | उज्जैन–खेड़ाखजुरिया –उज्जैनबी.एम.सी. टेंकर | – | 92 | 5000/4500 | टेंकर (5000 ली.क्षमता) या समान भार क्षमता का वाहन |

**दुग्ध शीत केन्द्र शाजापुर**

| क्रं. | रूट क्र | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम / न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | शाजापुर–बड़ागांव–शाजापुर, शाजापुर–हीरपुरटेका–शाजापुर | 0.44 | 126 | 5400/2050 | टेंकर 5000 लीटर क्षमता या समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 16/ 17 | शाजापुर–कनार्दी–शाजापुर शाजापर–बेरछा– शाजापुर (रूलकी, पालासी, बर्डीयासोन, देंदला) | 0.50 | 169 | 6867/2638 | टेंकर 5000 लीटर क्षमता या समान भार क्षमता का वाहन |

**दुग्ध संयंत्र रतलाम**

| क्रं. | रूट क्र | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम / न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | रतलाम–घुड़ावन–रतलाम बी.एम.सी. | 0.40 | 167/13.76 | 7000/6000 | आयशर/1109 या समान भार क्षमता का वाहन |

**दुग्ध शीत केन्द्र आलोट**

| क्रं. | रूट क्र | मार्ग | परिवहन लागत प्रति ली. | अनुमानित दूरी प्र.दि. कि.मी./दर | दुग्ध संकलन अधिकतम / न्यूनतम | वांछित वाहन का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96/95 | आलोट–मुण्डला सोन्धिया–घटियासाईदास पिपलिया सिसौदिया –आलोट बी.एम.सी. | – | 113 | 3000/2000 | आयशर 5000 लीटर क्षमता एवं समान भार क्षमता का वाहन |
| 2 | 91/92 94/93 | आलोट–निपानियालीला –पेटलावद–आलोट बी.एम.सी. | – | 173 | 4500/3000 | आयशर 5000 लीटर क्षमता एवं समान भार क्षमता का वाहन |

## नोट :–

01– यदि वाहन स्वामी चाहे तो निर्धारित क्षमता से अधिक की निविदा भी प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जा सकेगा।

03– बी.एम.सी. मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

04– दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

05– संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

06– वर्ष 2013 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।

# <u>शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा)</u>

## <u>नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र का प्रारूप</u>

| | | |
|---|---|---|
| नाम | :– | ———————————————— |
| पिता | :– | ———————————————— |
| उम्र | :– | ———————————————— |
| धंधा | :– | ———————————————— |
| निवासी | :– | ———————————————— |
| आधार नं. | :– | ———————————————— |
| मोबाईल नं. | :– | ———————————————— |

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि मेरे द्वारा दुग्ध संकलन परिवहन/बी.एम.सी. परिवहन की निविदा जमा की गई है यदि संघ द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो में आवेदन अनुसार निर्धारित क्षमता का वाहन 15 दिवस में उपलब्ध कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा समय–सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात होती है तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

**दिनांक –**
**स्थान –** **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ————————**

## <u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नही लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

**दिनांक –**
**स्थान –** **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ————————**

## बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन ई–निविदा हेतु तकनिकी योग्यता

| |
|---|
| निविदा<br>प्रस्तुतकर्ता<br>का फोटो |

**प्रति,**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय**
**उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**
**उज्जैन**

**महोदय,**

मैने आपके कार्यालय की ई–निविदा क्रमांक 1717 दिनांक 10.05.2018. पढ़ ली है। तद्नुसार यह ई–निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक रूप से दुग्ध संकलन परिवहन अनुबंध करने को तैयार हूॅ। अर्नेस्टमनी **राशि रूपये 10,000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र)** का डी.डी. क्रमांक –––––––– दिनांक ––––––– स्केन कर ई–निविदा के साथ अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊॅगा।

वांछित जानकारी निम्नानुसार है :–

01–वाहन स्वामी का नाम .................................... पिता का नाम ....................................
वारिस ............................ उम्र ............ संबंध ––––––––––––––––

02–वाहन का प्रकार.................................वाहन क्रमांक...............................मॉडलवर्ष..................पेन नं......................

03–वाहन का पंजीयन क्रमांक...............................................................वाहन क्षमता..........................
भार क्षमता मे.टन ..............................................

04–बी.एम.सी. परिवहन मार्ग का पूरा नाम .................................................... एवं रूट क्रमांक..................

05–अवधि दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 31.08.2020 तक तथा आपसी सहमति से 03 वर्ष (एक–एक वर्ष) अनुबंध अवधि बढ़ाने का संघ को अधिकार प्रदान करता हूॅ।

06–यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नही है तो नया वाहन क्रय हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने संबंधित नोटरी से मूल शपथ–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

07–वाहन ठेकेदार को अपने पेन नंम्बर दर्शाते हुऐ शपथ पत्र आयकर अधिनियम की धारा 194 सी के तहत यह भी देना होगा की उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में ट्रांसपोर्ट व्यापार में 10 से अधिक वाहनों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

08–क्रमांक 02, 03, 07 एवं 08 से संबंधि वाहन के पंजीयन प्रपत्र की प्रतियां, डी.डी., पेन कार्ड निविदा प्रपत्र के साथ स्केन कर अपलोड करें एवं डीडी की मूल प्रति एवं स्केन किये गये प्रपत्रों की छायाप्रति भौतिक रूप से बंद लिफाफे में संघ कार्यालय में जमा करावें। जिनके नाम से वाहन पंजीकृत है उनका पासपोर्ट साईज का फोटो भी आवेदन पत्र पर चस्पा किया जाना अनिवार्य है।

**नोट :– वर्ष 2013 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी।**

मैं घोषित करता/करती हूॅ कि, उपरोक्त अनुसार क्रमांक 01 से 08 तक सत्य है। मुझे संघ की सभी शर्ते एवं नियम मान्य है, अगर दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

**निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर**

**निविदाकार पूरा नाम ––––––––––––––––––––––––––––––––––**
**पता––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**
**पेन न. –––––––––––––––––– मोबाइल नम्बर ––––––––––––––––**
**आधार न. ––––––––––––––**

**हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य**

01––––––––––02 ––––––– 03––––––– 04 ––––––– 05 ––––––– (6) ––––––––––